2023 का विधेयक संख्यांक 91

[दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड कास्टस) आर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित करने हेतु संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

स.आ. 19

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का संशोधन ।

2. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में, भाग 23-छत्तीसगढ़ मे प्रविष्टि 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"33. महार, महारा, महरा, मेहर, मेहरा" ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जातियों को विनिर्दिष्ट करते हुए छह राष्ट्रपतीय आदेश जारी किए गए थे । संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (2) के अधीन संसद के अधिनियमों द्वारा समय-समय पर इन आदेशों को संशोधित किया गया है ।

2. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों की सूची में महरा तथा महारा समुदायों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया है । भारत के महारजिस्ट्रार तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने प्रस्तावित उपांतरण पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी है ।

3. उपरोक्त परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का संशोधन करना आवश्यक है ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
12 जुलाई, 2023.

डा. वीरेंद्र कुमार

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची में "महरा और महारा" समुदायों को सम्मिलित करने के लिए है । इससे अनुसूचित जातियों के विकास के लिए आशयित स्कीमों के फायदों जिनमें नए जोड़े गए समुदायों से संबंध रखने वाले व्यक्ति इस विधेयक के परिणामस्वरूप हकदार हो जाएंगे, के मद्दे कुछ अतिरिक्त आवर्ती और अनावर्ती व्यय अंतर्वलित होगा ।

2. इस प्रक्रम पर इस मद्दे उपगत होने वाले संभावित व्यय का प्राक्कलन करना संभव नहीं है । तथापि, व्यय, यदि कोई हो, को सरकार के अनुमोदित बजटीय व्यय से ही किया जाएगा ।

उपाबंध

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 (सं0 आ0 19) से उद्धरण

*   *   *   *   *   *

अनुसूची

*   *   *   *   *   *

भाग 23 -- छत्तीसगढ़

*   *   *   *   *   *

33. महार, मेहरा, मेहर

*   *   *   *   *   *